**संख्या-02-2025-70-57-2025 4-G-2021-TC**

प्रेषक,

**लक्ष्मण राम**,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

**धर्मार्थ कार्य अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2025**

विषय:- **जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1057/ध0का0वि0नि0/भ0सं0/2024-25, दिनांक 07.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाप्रबंधक, जोन-3 उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ के पत्र संख्या-1544/पी0सी0एल0 /महाप्र0 जोन-3/धर्मार्थ, दिनांक 30.12.2024 द्वारा की गयी मांग के क्रम में बजट आवंटन हेतु नियमानुसार समायोजन करते हुये अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-529-57-2023-4-जी-2021-टीसी, दिनांक 31.03.2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 10.00 लाख को समायोजित करते हुये पुनरीक्षित लागत 2308.61 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1144.30 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ चौवालीस लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैः-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध**

(1) वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च 2024 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को नियमानुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) शासनादेश संख्या-529-57-2023-4-जी-2021-टीसी, दिनांक 31.03.2023 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 10.00 लाख का समायोजन इस आशय से किया गया है कि जब तक उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ववर्ती कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से प्राप्त नही हो जाता है, तब तक उक्त धनराशि अवमुक्त नही की जायेगी।

(12) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत प्रायोजना का व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 23-02-2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रायोजना से सम्बन्धित मानचित्रों पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(15) प्रायोजनान्तर्गत भजन संध्या स्थल का कार्य नदी तट पर कराया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत प्रायोजना प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार सिंचाई विभाग एवं सी०डब्लू०सी० इत्यादि से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये।

(16) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0 द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(18) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,44,30,000 ( रुपये ग्यारह करोड़ चौवालीस लाख तीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084 **लेखा शीर्षक-** 4250008000900 जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल का निर्माण **मानक मद-**24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**(लक्ष्मण राम)**
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या-02-2025-70-57-2025 4-G-2021-TC, तद दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज/वाराणसी।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/प्रयागराज।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स, कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स, कॉरपोरेशन लि0, प्रयागराज।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(लक्ष्मण राम)**
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in